महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर–321201

Ph. & Fax No. 05644-220025, Email- exam@msbrijuniversity.ac.in

Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– मसूबृवि / परीक्षा / 2025 / 7058 दिनांक : 29.03.2025

मुख्य परीक्षा 2025 के परीक्षा फार्म भरने की सूचना

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर से सम्बद्ध भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिलों में स्थित महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2024–25 के नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी (Regular, Ex-Student and Non-Colleigate) परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म वेबसाईट www.msbu.in एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट www.msbrijuniversity.ac.in पर ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	पाठयक्रम	दिनांक
1	बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी., बी.सी.ए. एवं बी.ए. ऑनर्स **(नियमित एवं पूर्वछात्र परीक्षार्थी) पार्ट द्वितीय एवं तृतीय**	दिनांक 01.04.2025 से 10.04.2025 तक
2	बी.ए. एवं बी.कॉम. **(स्वंयपाठी परीक्षार्थी) पार्ट द्वितीय एवं तृतीय**	
3	PGDCA **(नियमित परीक्षार्थी) सेमेस्टर प्रथम**	

नोट :

1. परीक्षा संबंधी समस्त सूचना, नियम एवं निर्देशों हेतु वेबसाईट www.msbrijuniversity.ac.in एवं www.msbu.in का निरन्तर अवलोकन करें।
2. नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वंयपाठी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु Instruction for form filling निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट www.msbu.in पर उपलब्ध है।
3. परीक्षा आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या के लिए विश्वविद्यालय हेल्पलाईन नम्बर 8290845992 एवं 8290845986 पर कार्यालय समय में एवं पेमेंट गेटवे से भुगतान संबंधी समस्या के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हेल्पलाईन नम्बर 8459698230 एवं 8078666867 तथा एचडीएफसी बैंक हेल्पलाईन नम्बर 912261606160 एवं 18002600 पर समय प्रातः 09 से सांय 06 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
4. किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इन्तजार ना करें।

(डॉ.फरबट सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर–321201

Ph. & Fax No. 05644-220025, Email- exam@msbrijuniversity.ac.in

Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– मसूबृवि/परीक्षा/2025/7058 दिनांक : 29.03.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म अलग–अलग संग्रहित किए जायें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षा फर्म सही भरे गए हैं एवं परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। **परीक्षा फॉर्म के साथ इन्टरनेट से निकलने वाली अंकतालिका मान्य नहीं होगी।**
2. वित्त नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करे कि मुख्य परीक्षा–2025 हेतु ई–मित्र कियोस्क एवं बैंक पेमेंट गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का भी श्रम करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि MOU की शर्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के खाते में T+2 दिवस में जमा होना सुनिश्चित करने का श्रम करें अन्यथा MOU की शर्तानुसार ब्याज राशि 12 प्रतिशत की दर से देनी होगी। सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को यह भी सुनिश्चित करावे कि एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं हो और ई–मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होना चाहिए।
4. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव प्रथम एवं द्वितीय/सेलर, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
7. प्री एण्ड पोस्ट फर्म को प्रेषित कर लेख है सम्बद्वता सूची में उपलब्ध सीटों के विवरण अनुसार ही फार्म भरे जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में सम्बद्ध महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त फार्म न भरवाये जावें।
8. संयोजक, परीक्षा आवेदन जाँच, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार परीक्षा फॉर्म एकत्रित करवाने की व्यवस्था करवायें एवं जाँच करावें।
9. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता), महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों की सूची मय आवंटित शीट एवं महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम विषय, संकायों का ब्योरा उपलब्ध करावें। जिनके परीक्षा फार्म 2025 भरवाये जाने हैं।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
11. छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. Manager, ICICI Bank, Bharatpur
13. Manager, HDFC Bank, Bharatpur
14. ओ.आई.सी., वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर अपलोड करें।
15. रक्षित पत्रावली

परीक्षा नियंत्रक

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर–321201

Ph. & Fax No. 05644-220025, Email- exam@msbrijuniversity.ac.in

Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– मसूबृवि/परीक्षा/2025/7058 दिनांक : 29.03.2025

मुख्य परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारणी तथा परीक्षा आयोजन संबंधी जानकारियों हेतु बेवसाईट **www.msbrijuniversity.ac.in and msbu.in** का निरंतर अवलोकन करते रहें।
2. **विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र विद्यार्थी को आवंटित एनरोलमेंट नम्बर एवं विद्यार्थी की जन्म तिथि के आधार पर भरा जायेगा।**
3. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन ई–मित्रा, पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क एक बार खाते से कटने के बाद कोई समस्या आने पर (परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कापी न निकलने पर) पुनः भुगतान 12 घंटे पश्चात् ही किया जावे। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापिस (Refund) नहीं होगा।
4. यदि Payment Success के उपरांत भी आवेदक जानबूझ कर एक से अधिक परीक्षा आवेदन के लिए भुगतान करता है तो विश्वविद्यालय में जमा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क वापिस नहीं होगा।
5. परीक्षा फॉर्म दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के उपरांत सावधानीपूर्वक भरें। परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर मय आवश्यक दस्तावेजों तथा पूर्व में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं के साथ **आगामी दो कार्य दिवसों में,** परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। **महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार किये जायेंगे।**
6. परीक्षार्थी ध्यान रखें की परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना गलत हो या आपके विवरण से मिलान नहीं हो तो पूर्व में भरे गये फॉर्म को निरस्त मानते हुये पुनः नया परीक्षा फॉर्म भरें तथा परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढें।
7. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् भरे गये आवेदन पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन ई–मित्रा, आई.सी.आई.सी.आई. एवं एचडीएफसी बैंक पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट निश्चित रूप से प्राप्त करें।
8. संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मों के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके अन्तर्गत यह स्पष्टतया उल्लेख किया जायेगा कि :–
   A. महाविद्यालय द्वारा कुल प्रवेषित छात्र/छात्रायें तथा परीक्षा फार्मो की संख्या महाविद्यालय को आवंटित सीटों से अधिक नहीं है।
   B. विद्यार्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे गये विषयों का मिलान महाविद्यालय को आवंटित विषयों तथा विद्यार्थियों को प्रदान किये गये विषय संयोजन (Subject Combinations) से मिलान कर लिया है।
9. सभी विद्यार्थियों न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति है। परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवदेन–पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। परीक्षार्थी अपना नाम, पिता व माता का नाम बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिकाओं के अनुसार ही भरें।

10. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि राजकीय चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। परीक्षा शुल्क के अलावा अन्य सभी निर्धारित शुल्क देय होगा।
11. नियमित विद्यार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित विद्यार्थी हैं, वहाँ जमा करायें एवं स्वंयपाठी परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नजदीकी महाविद्यालय का चयन कर परीक्षा फॉर्म भरें तथा उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ चयनित महाविद्यालयों में ही जमा करायें।
12. संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी स्पष्टतया नोट करे कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं को एक बार ही नामांकन संख्या आवंटित की जाती है, भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में पूर्व में आवंटित की गयी नामांकन संख्या (Same as already allotted) रहेगी।
13. किसी कारणवश विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित/पूर्वछात्र से स्वयंपाठी श्रेणी परिवर्तित कर परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय में सम्पर्क करें।
14. जो छात्र मुख्य परीक्षा – 2023 एवं 2024 में सम्मिलित नहीं हुए थे ऐसे सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र एनरोलमेंट नम्बर एवं अपनी जन्म तिथि के अनुसार परीक्षा आवेदन पत्र भरेगें।
15. बी.ए. एडिशनल के सभी परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व रजिस्ट्रेशन कर परीक्षा आवेदन पत्र भरेगें। ध्यान रहे एक एडिशनल ऐसे विषय का चयन करे जिसका अध्ययन उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
16. नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय जिसके वे नियमित विद्यार्थी है, वहाँ पर जमा करवायें। **इन्टरनेट वाली अंकतालिका मान्य नहीं होगी।**
17. पूर्वछात्र परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे। सम्बन्धित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार करेंगे तथा विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात् पॉच कार्य दिवसों तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
18. सम्बन्धित महाविद्यालय मुख्य परीक्षा–2025 के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में अन्तिम तिथि के उपरान्त पॉच (05) कार्य दिवसों में पूर्ण जाँच करके प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणीकरण के साथ 50 रूपये के स्टांप पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमा करावें।
19. **माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें अन्यथा ऐसी स्थिति में परीक्षा फार्म प्रमाणन के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।**

    नोट :– पूर्व की भाँति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क 12/– रू. प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालय, जो सग्रंहण केन्द्र होगा, को देय होगा।
20. परीक्षार्थियों द्वारा ई–मित्र कियोस्क के अलावा अन्य किसी माध्यम (जैसे नकद/बैंक ड्राफट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होगा।
21. ई–मित्र हेल्प लाईन नं. टोल फ्री नम्बर– 1800 180 6127

    ई–मित्र आईडी – **ccc.emitra@gmail.com**

    Technical Support :-

    0141- 2221424 helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in

    0141- 2221425 helpdeskl.emitra@rajasthan.gov.in

    0141- 6450126, 0141 – 6450109

22. **परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरे, अन्यथा**

A. स्वयंपाठी/पूर्व/नियमित परीक्षार्थी के फॉर्म में गलती होने पर परीक्षा फॉर्म की दोनों प्रतियों में गलती को लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करायें। परीक्षा फॉर्म में एक गलती पर ₹100/– एवं एक से ज्यादा गलती होने पर अधिकतम ₹200/– महाविद्यालय में जमा कराना होगा।

B. विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म जमा करने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म में सुधार करवाने के लिए प्रति गलती ₹200/– एवं एक से अधिक गलती पर अधिकतम ₹300/– जमा करने पर ही सुधार संभव होगा।

C. सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्मों की सावधानी पूर्वक जॉच कर लें अन्यथा संबंधित प्राचार्य गलतियों के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती होने पर ₹400/- प्रति परीक्षा आवेदन पत्र सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अदा करने होगें।

D. महाविद्यालय द्वारा त्रुटि संशोधन हेतु आवेदन पत्र मय संशोधन शुल्क राशि विश्वविद्यालय को जमा करानी होगी। यह राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को देय होगी।

27. प्राचार्यगण से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्रों की जांच एवं आवश्यक त्रुटि संशोधन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करें अन्यथा इससे होने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्वंय जिम्मेदार होंगे।

23. जो छात्र पूर्व में ही इस विश्वविद्यालय में नामांकित है और स्नातक पार्ट द्वितीय तथा पार्ट तृतीय एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के लिए आवेदन करते है, उन्हें भी अपनी गत उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

24. ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकित है और जो प्रथम बार महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रविष्ठ हो रहे हैं, ऐसे समस्त परीक्षार्थियों को इस विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु मूल अंकतालिका एवं मूल माइग्रेशन जमा कराना होगा।

25. **परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुसार ही भरें तथा परीक्षा आवेदन पत्र में आधार नम्बर के साथ अपनी ABC ID इन्द्राज कराना अनिवार्य है। जिसकी जिम्मेदारी स्वंय परीक्षार्थी की होगी अन्यथा बिना आधार नम्बर एवं ABC ID के परीक्षा आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।**

26. समस्त स्नातक (प्रथम वर्ष), स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) श्रेणी बदलकर नियमित/पूर्व छात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमानुसार नियमित परीक्षार्थी के रूप में, स्नातक, स्नातकोत्तर में अंक सुधार हेतु सम्मिलित परीक्षार्थीयों को विश्वविद्यालय से सम्पर्क करने के उपरांत ही भरा जा सकेगा।

(परीक्षा नियंत्रक)

परिशिष्ठ– 'अ'

अ – स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम :

(विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स देखे जा सकते है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है। जो समान रूप से इस विश्वविद्यालय पर प्रभावी है।)

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स–176 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा फार्म भरने की तिथि से ठीक 2.5 वर्ष पूर्व से भरतपुर, डीग व धौलपुर जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :–
   A. मूल निवास प्रमाण पत्र। अथवा
   B. स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी अथवा उनके आश्रित होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। अथवा
   C. नियमित विद्यार्थी के रूप में 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। अथवा
   D. विवाहित महिला हेतु विवाह प्रमाण पत्र। अथवा
   E. 2.5 वर्ष से विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में निवास करने का राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण पत्र।

   नोटः– पूर्व में पंजीकृत स्वयंपाठी विद्यार्थियों को निवास संबंधी कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स – 170–ए (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये लागू है। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय – समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
3. **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स–175 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है – टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बॉयोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टेक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फारेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाईजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्यूकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय, मनोविज्ञान, सैनिक विज्ञान एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्यूनिकेशन।**
4. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी,सामान्य अंग्रेजी, अनिवार्य कम्प्यूटर (सैद्धान्तिक) तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
5. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, की परीक्षा में सम्मिलित होते है, तो उन्हें सम्बन्धित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क का 70 प्रतिशत सम्बन्धित महाविद्यालय में एवं शेष 30 प्रतिशत राशि परीक्षा फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण–पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगे।

6. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 81-I(A) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयपांठी के रूप में पार्ट–। उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदलकर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते है तो उनके लिए पार्ट–। में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को 50 प्रतिशत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
7. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 86-(B)-I तथा आर्डिनेन्स 177 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडीकेट/प्रबन्ध मण्डल से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय से स्नातक पार्ट–। उत्तीर्ण छात्र पार्ट–।। की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है परन्तु
   a) ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगे जिनका चयन पार्ट–। में किया था। ऐसे छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग पार्ट–। के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हो तो उनकी परीक्षा देनी होगी।
   b) ऐसे छात्रों की श्रेणी (Division) का निर्धारण पार्ट–।।/।।। में प्राप्तांको के आधार पर होगा तथा उन्हें प्रदान की जाने वाली उपाधि पर इस आशय का अंकन किया जावेगा कि 'छात्र द्वारा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन दो वर्ष तक अध्ययन किया गया है'।
8. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स – 144 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। **75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र को महाविद्यालय द्वारा सत्यापित न किए जाए।**
9. **स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन नही कर सकते है।**
10. **स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परशियन का चयन नहीं कर सकते है।**
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरूष परीक्षार्थी गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन नहीं कर सकते है।
12. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते है।
13. स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 153-B (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार पार्ट–। में उत्तीर्ण परीक्षार्थी 02 वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात् अगली कक्षा पार्ट–।। की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते है। उन्हें पुनः पार्ट–। की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।
14. **श्रेणी/अंक सुधार** – स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट–।/।।/।।। उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स–169–ई(i) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्ही विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगे। यह ध्यान रखे कि ऐसे परीक्षार्थी को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा भी पुनः देनी होगी।
15. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 193&C(i) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र को अगले प्रयास में उत्तीर्ण करने पर उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी (Division) निर्धारण हेतु जोडे जावेंगे।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन–कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम. पार्ट–। में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एवं अकाउटेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

17. स्नातक ऑनर्स, बी.बी.ए. बी.सी.ए., बी.एड., एम.एड., एलएल.बी. डी.एल.एल. एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए ही लागू है।
18. पूर्वछात्र (Ex-Student) :– राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 164 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो परीक्षा–2024/पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्वछात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्वछात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहां के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
19. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 182 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के पश्चात् लौटाया नहीं जावेगा।
20. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 168–ए एवं बी (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में **दो डिग्रियों** की परीक्षा नहीं दे सकते है। अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान है।
21. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 169–H (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात यदि **किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।**
22. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध मे वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

ब – स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम :

23. स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 8, 19, 20 व 21 स्नातकोत्तर परीक्षा में भी लागू होंगे।
24. बी.टेक. उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी.(मैथेमेटिक्स) के लिए आवेदन पत्र नहीं भर सकते। एम.ए./एम.एससी. गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित विषय होना आवश्यक है।
25. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति परीक्षार्थियों के लिए प्रावधान :
    a) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 169–ई (ii) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) – स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति – परीक्षा 2024) में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न–पत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते है। प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।
    b) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 179 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के तहत सभी समतुल्य (Equivalent) विश्वविद्यालयों से पिछले वर्षो में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस आर्डिनेन्स के तहत पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते है।
    c) एम.ए./एम.एससी. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुतीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।

परीक्षा नियंत्रक